आवंटन
अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–4235608000324

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

सेवा में,

1–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(जि0पं0रा0अ0 काशीरामनगर,फिरोजाबाद,मैनपुरी,कन्नौज,औरैया,ललितपुर,
बलरामपुर,रायबरेली,कानपुर देहात को छोडकर)
2–उपनिदेशक (पं०)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/63/2018–1/225/2018 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से रू0 9013.20 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–67/2018/2537/33–3–2018–100(21)/2014, दिनांक 07 अगस्त 2018 में संदर्भित शासनादेश संख्या–2/2105/33–3–2014–100(21)/2014 दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0–10000.00 लाख** के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि **रू0–9013.20 लाख (रूपया नब्बे करोड तेरह लाख बीस हजार मात्र)** उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07.8.2018 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या–05 में इंगित कुल रू0–2**2.5330 लाख** निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–1) तथा कालम संख्या 09 व 12 में इंगित कुल **रू0 8990.667 लाख** की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–2) इस प्रकार कुल रू0 9013.20 **लाख (रूपया नब्बे करोड़ तेरह लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2018–19 में प्राविधानित एवं आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।
2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
5. इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्तेष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018–19 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा कार्यालय ज्ञाप सं० 3/2018/बी–1–438/दस –2018–231/2018 दिनांक 24 अप्रैल 2018 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें।

9. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायगा।
11. इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलो का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका / कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों / शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
12. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934 / दस–2008–मित–1 / 2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
13. जनपद स्तर पर अन्तेष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिये नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जो निर्माण की मासिक आख्या निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
14. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तो में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।
15. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।
16. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–137पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,
(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / शा० / 63 / 2018 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
5. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. सम्बन्धित, मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0 ।
8. उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
9. आहरण / वितरण अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-14/08/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-63-2018-1-225-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-225-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	43738380 43738380	43738380 43738380
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	34018740 34018740	34018740 34018740
5	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21869190 21869190	21869190 21869190
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
8	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
9	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	34018740 34018740	34018740 34018740
10	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	36448650 36448650	36448650 36448650
11	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
12	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	26729010 26729010	26729010 26729010
13	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
14	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
15	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
16	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
17	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
18	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
19	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21869190 21869190	21869190 21869190
20	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
21	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
22	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
23	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
24	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
25	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	38878560 38878560	38878560 38878560
26	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
27	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	24299100 24299100	24299100 24299100
28	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
29	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
30	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	48598200 48598200	48598200 48598200
31	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
32	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
33	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	31588830 31588830	31588830 31588830
34	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
35	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
36	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	24299100 24299100	24299100 24299100
37	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
38	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
39	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
40	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
41	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
42	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
43	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
44	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
45	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
46	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
47	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
48	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
49	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
50	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
51	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
52	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
53	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
54	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
55	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
56	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
57	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
58	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
59	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
60	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
61	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
62	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
63	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
64	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
65	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
66	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
	योग	वर्तमान प्रगामी	899066700 899066700	899066700 899066700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नवासी करोड़ नब्बे लाख छियासठ हजार सात सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नवासी करोड़ नब्बे लाख छियासठ हजार सात सौ

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

2034

मु०वित्त एवं लेखा
DD (श्री चौधरी)

संख्या-17/2018/2537/33-3-2018-100(21)/2014

श्री शर्मा
9.8.18

8/8/18

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.10000.00 लाख में से रू 9013.20 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा0/279/2017-5/44/2018 दिनांक 27.07.2018 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2/2105/33-3-2014-100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2018-19 में उक्त योजना के लिए प्राविधानित धनराशि रू. 10000.00 लाख में से रू 9013.20 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2018-19 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(2) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्यैष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

(9) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -

03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(11) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) शासकीय व्यय में मितव्ययतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(15) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(16) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

ख्या-14

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु फांट

धनराशि लाख रू0 में

	जनपद का नाम	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रूपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तावित धनराशि	कार्यालय व्यय/कंटिजेन्सी हेतु प्राविधानित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत							अन्त्येष्टि स्थल की धनराशि तथा ग्राम पंचायत स्तर की कंटिजेन्सी की धनराशि (कालम संख्या-11) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित धनराशि
				निदेशालय स्तर (0.25 प्रतिशत)	मण्डल स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	जिला स्तर (0.25 प्रतिशत)	ब्लाक स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	कालम संख्या का (6+7+8) योग	कालम संख्या का (5+9) योग	ग्राम पंचायत स्तर पर (01 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	झांसी	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
2	इटावा	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
3	इलाहाबाद	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
4	बहराइच	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
5	बरेली	14	341.0400	0.8526	0.8526	0.8526	0.8526	2.5578	3.4104	3.4104	337.6296
6	बांदा	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
7	बाराबंकी	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
8	बागपत	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
9	बस्ती	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
10	बदायूं	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
11	बुलन्दशहर	14	341.0400	0.8526	0.8526	0.8526	0.8526	2.5578	3.4104	3.4104	337.6296
12	कौशाम्बी	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
13	कानपुर नगर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
14	कुशीनगर	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
15	मऊ	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
16	मथुरा	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	2.1924	217.0476
17	महराजगंज	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
18	महोबा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
19	मुरादाबाद	11	267.9600	0.6699	0.6699	0.6699	0.6699	2.0097	2.6796	2.6796	265.2804
20	मुजफ्फरनगर	18	438.4800	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	3.2886	4.3848	4.3848	434.0952
21	मेरठ	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
22	बिजनौर	15	365.4000	0.9135	0.9135	0.9135	0.9135	2.7405	3.6540	3.6540	361.7460
23	मिर्जापुर	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820

24	सिद्धार्थनगर	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
25	चित्रकूट	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
26	हरदोई	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
27	हाथरस	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
28	हापुड़	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
29	पीलीभीत	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
30	प्रतापगढ़	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
31	रामपुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
32	शामली	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
33	शाहजहांपुर	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
34	संतकबीरनगर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
35	सम्भल	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
36	सहारनपुर	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
37	सीतापुर	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	2.4360	241.1640
38	सोनभद्र	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
39	सुल्तानपुर	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
40	उन्नाव	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
41	देवरिया	13	316.6800	0.7917	0.7917	0.7917	0.7917	2.3751	3.1668	3.1668	313.5132
42	वाराणसी	16	389.7600	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	2.9232	3.8976	3.8976	385.8624
43	चन्दौली	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
44	फतेहपुर	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	2.1924	217.0476
45	जौनपुर	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	2.4360	241.1640
46	जालौन	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
47	अम्बेडकरनगर	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
48	अमरोहा	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
49	अमेठी	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
50	आजमगढ़	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
51	आगरा	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
52	अलीगढ़	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
53	गाजियाबाद	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
54	गोण्डा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
55	गोरखपुर	20	487.2000	1.2180	1.2180	1.2180	1.2180	3.6540	4.8720	4.8720	482.3280
56	गौतमबुद्धनगर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
57	गाजीपुर	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
58	लखीमपुर खीरी	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312

[illegible]	लखनऊ	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
60	भदोही	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
61	फैजाबाद	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
62	बलिया	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
63	हमीरपुर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
64	श्रावस्ती	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
65	फर्रुखाबाद	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
66	एटा	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
	योग-	370	9013.2000	22.5330	22.5330	22.5330	22.5330	67.5990	90.1320	90.1320	8923.0680

(नब्बे करोड़ तेरह लाख बीस हजार रूपये मात्र)

नोट:- 1. कालम संख्या 5 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 तथा कालम संख्या 6 7 व 8 की कुल कालम संख्या 9 में इंगित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।